



बिहार विधान परिषद्

दैनिक विवरणिका

संख्या- 4

सत्र- 213वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बृहस्पतिवार, दिनांक 23.7.2026 ई.

माननीय सभापति, श्री अवधेश नारायण सिंह की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक

आसन को सूचना

सदन प्रारंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री महेश्वर सिंह ने कल की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि विधायकों, जनप्रतिनिधियों को चिह्नित कर उनपर हमला किया गया है, हमलोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, इसपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री घनश्याम ठाकुर एवं अन्य सदस्यों ने किया। जिसपर माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार गंभीरता से संज्ञान लेती है और दोषियों को चिह्नित कर दंडित किया जायेगा।

माननीय मुख्य सचेतक, विरोधी दल, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ने अपना कार्यस्थगन पढ़ना चाहा, जिसपर आसन से माननीय सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि माननीय मुख्य सचेतक, विरोधी दल श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी एवं अन्य दो माननीय सदस्यों से प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार संख्या- 12, 13, 25 एवं 34 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया है।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में आकर
जोर-जोर से बोलते रहे।)

1. औपचारिक कार्य

प्रभारी सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम- 157 के अनुसरण में बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2026 की बैठक में यथापारित -

1. बिहार नगर विकास विधेयक, 2026
2. बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
3. बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (निरसन) विधेयक, 2026
4. भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026
5. निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026
6. बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026
7. बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026
8. बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026
9. बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026
10. बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026
11. डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कम्प्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026
12. बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
13. शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026

आसन का निमयन

आसन से माननीय सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि उपर्युक्त विधेयकों पर आज अपराह्न 1.45 बजे तक संशोधन लिये जायेंगे।

(अंतराल)

आसन को सूचना

माननीय सदस्य, श्री सर्वेश कुमार द्वारा आसन को यह सूचित किया गया कि बेगूसराय के बखरी में विद्यार्थी परिषद् के सैकड़ों कार्यकर्ता धरना पर बैठे हैं। सरकार इसका संज्ञान ले।

आसन की अनुमति से माननीय मुख्य सचेतक, विरोधी दल, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा कार्यस्थगन पढ़ा गया, जिसपर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वक्तव्य दिया गया।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बाहर चले गये।)

2. परिनियत कार्य

1. माननीय मंत्री, श्रीमती शीला कुमारी द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के “निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा”, वर्ष 2017-18 से 2022-23 के “निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल” तथा वर्ष 2025-26 के “राज्य के वित्त” प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।
2. माननीय मंत्री, सुश्री श्रेयसी सिंह द्वारा भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखी गई।
3. माननीय मंत्री, श्री संजय सिंह ‘टाईगर’ द्वारा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।
4. माननीय मंत्री, श्रीमती रमा निषाद द्वारा बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

3. विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

1. बिहार नगर विकास विधेयक, 2026

श्री नीतीश मिश्रा, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार नगर विकास विधेयक, 2026 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश मिश्रा, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार नगर विकास विधेयक, 2026 पारित हो।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री नीतीश मिश्रा ने वक्तव्य दिया।

तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी संशोधन के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

2. बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026

श्री संजय सिंह 'टाइगर', माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री संजय सिंह 'टाइगर', माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री संजय सिंह 'टाइगर' ने वक्तव्य दिया।

तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी संशोधन के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

3. बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवाशर्त) (निरसन) विधेयक, 2026

श्री अरुण शंकर प्रसाद, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवाशर्त) (निरसन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण शंकर प्रसाद, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवाशर्त) (निरसन) विधेयक, 2026 पारित हो।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अरुण शंकर प्रसाद ने वक्तव्य दिया।

तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी संशोधन के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

4. भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026

श्री मदन सहनी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मदन सहनी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मदन सहनी ने वक्तव्य दिया।

तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी संशोधन के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

5. निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026

श्री मदन सहनी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मदन सहनी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मदन सहनी ने वक्तव्य दिया।

तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी संशोधन के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

6. बिहार ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026

सुश्री श्रेयसी सिंह, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सुश्री श्रेयसी सिंह, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 पारित हो।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, सुश्री श्रेयसी सिंह ने वक्तव्य दिया।

तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी संशोधन के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

7. बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026

श्री दीपक प्रकाश, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दीपक प्रकाश, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो।

इसपर माननीय मंत्री, श्री दीपक प्रकाश के स्वीकृति के प्रस्ताव का माननीय सदस्य, श्री महेश्वर सिंह ने विरोध किया।

तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी संशोधन के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

8. बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026

श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 पारित हो।

इसपर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी ने वक्तव्य दिया।

तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी संशोधन के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

9. बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026

श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो।

इसपर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी ने वक्तव्य दिया।

तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी संशोधन के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

10. बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026

श्री संजय सिंह 'टाइगर', माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री संजय सिंह 'टाइगर', माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पारित हो।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री संजय सिंह 'टाइगर' ने वक्तव्य दिया।

तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी संशोधन के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

11. डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कम्प्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026

श्रीमती शीला कुमारी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कम्प्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती शीला कुमारी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कम्प्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पारित हो।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्रीमती शीला कुमारी ने वक्तव्य दिया।

तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी संशोधन के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

12. बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026

श्रीमती शीला कुमारी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती शीला कुमारी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्रीमती शीला कुमारी ने वक्तव्य दिया।

तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी संशोधन के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

13. शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026

श्रीमती शीला कुमारी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती शीला कुमारी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पारित हो।

स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, श्री मदन सहनी ने इसका समर्थन किया और इसके लिए माननीय मंत्री को बधाई दी।

तदुपरांत सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्रीमती शीला कुमारी ने वक्तव्य दिया।

तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी संशोधन के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

4. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिंह द्वारा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों को सुरक्षा हेतु शस्त्र की अनुज्ञप्ति शीघ्र निर्गत करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।
इस पर सरकार की ओर लिखित वक्तव्य रखा गया।
2. माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार द्वारा नवादा जिला के विभिन्न प्रखंडों में संचालित बस पड़ाव के पास यात्रियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।
इस पर सरकार की ओर लिखित वक्तव्य रखा गया।
3. माननीय सदस्य, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा राज्य में उत्पन्न वित्तीय संकट, वेतन-पेंशन में हो रही देरी तथा आकस्मिकता निधि के अनियमित उपयोग के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।
व्यपगत।
4. माननीय सदस्य, श्री सोनु कुमार राय द्वारा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती और होमगार्ड लिपिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।
व्यपगत।
5. माननीय सदस्य, श्री मो. सोहैब द्वारा परिवहन विभाग के प्रोन्नति प्राप्त पदाधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित नहीं किए जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।
व्यपगत।
6. माननीय सदस्य, श्री कुमार नागेन्द्र एवं अन्य 04 (चार) माननीय सदस्यगण द्वारा राज्य के नगर निकायों द्वारा पन्द्रह लाख से कम लागत की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन विभागीय स्तर से कराये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।
व्यपगत।

5. निवेदन

1. श्री सर्वेश कुमार
2. श्री अशोक कुमार
3. श्री सोनू कुमार राय
4. डा. अजय कुमार सिंह
5. श्री नवल किशोर यादव

6. श्री जीवन कुमार
7. श्री कार्तिक कुमार
8. श्री वंशीधर ब्रजवासी
9. श्री घनश्याम ठाकुर
10. डा. उर्मिला ठाकुर
11. श्री संजय प्रकाश
12. श्री महेश्वर सिंह
13. श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह
14. श्री अफाक अहमद खां
15. मोहम्मद खालीद अनवर
16. श्रीमती अनामिका सिंह
17. प्रो. संजय कुमार सिंह

सभापति : आज दिनांक 23.7.2026 को कुल-17 प्राप्त निवेदनों को निवेदन समिति के माध्यम से संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाए।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक शुक्रवार, दिनांक 24.7.2026 को

11.00 पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

(सुभीम शर्मा)
23/07/2026

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 1071 (3) / वि.प.

पटना, दिनांक 23.7.2026

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार आनन्द)
23.7.2026

(अनिल कुमार आनन्द)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।



بہار قانون ساز کاؤنسل

شمارہ ۴

روزانہ تفصیلات

۲۱۳ واں اجلاس

ایوان کی کارروائی کا مختصر ریکارڈ

جمعرات، ۲۳ جولائی، ۲۰۲۶

23.07.2026

عزت مآب چیرمین جناب اودھیش نارائن سنگھ کی صدارت میں

ایوان کی کارروائی شروع ہوئی

12.00 بجے دن سے 04.30 بجے دن تک

صدر نشیں کو اطلاع

ایوان کے شروع ہوتے ہی معزز رکن، جناب مہیشور سنگھ نے کل کے حادثہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ودھائیوں اور عوامی نمائندگان کو نشان زد کر کے ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ ہم لوگوں کی حفاظت ہونی چاہئے۔ اس پر حکومت کو نوٹس لینا چاہئے، جس کی حمایت معزز رکن، جناب گھنشیام ٹھاکر اور دیگر معزز اراکین نے کی۔ جس پر معزز نائب وزیر اعلیٰ، جناب وجے کمار چودھری نے کہا کہ حکومت سنجیدگی سے نوٹس لیتی ہے اور قصور واروں کو نشان زد کر کے سزا دی جائے گی۔

معزز چیف وہپ، جناب عبدالباری صدیقی نے اپنی تحریک التوا تجویز پڑھنی چاہی، جس پر کرسی صدارت سے عزت مآب چیرمین نے رولنگ دینے کی عنایت کی کہ معزز چیف وہپ، حزب اختلاف، جناب عبدالباری صدیقی اور دیگر دو معزز اراکین سے موصول تحریک التوا تجویز کی اطلاع کو بہار قانون ساز کاؤنسل کے ضابطہ نامہ، طریق کار اور دستور العمل کے تحت تحریک التوا تجویز کی نامظوری کے بنیاد نمبر ۱۲، ۱۳، ۱۴ اور ۳۴ کی روشنی میں نامظور کر دیا ہے۔

(اس موقع پر حزب اختلاف کے سبھی معزز اراکین ایوان کے ویل میں آ کر زور زور سے بولتے رہے۔)

انچارج سکریٹری کے ذریعہ بہار قانون ساز کاؤنسل کے ضابطہ نامہ، طریق کار اور دستور العمل کے ضابطہ۔ ۱۵۷ کی توثیق میں بہار قانون ساز اسمبلی کے ذریعہ مورخہ ۲۲ جولائی، ۲۰۲۶ کی نشست میں پاس۔

۱۔ بہار شہری ترقیات بل ۲۰۲۶

۲۔ بہار پرائیویٹ یونیورسٹی (ترمیم) بل ۲۰۲۶

۳۔ بہار دوکان و تنسیبات (روزگار ریگولیشن اور سروس شرط) (تمنیخ) بل ۲۰۲۶

۴۔ بھارتیہ اسٹامپ (بہار ترمیم) بل ۲۰۲۶

۵۔ رجسٹریشن (بہار ترمیم) بل ۲۰۲۶

۶۔ بہار ایز آف ڈونگ بزنس بل ۲۰۲۶

۷۔ بہار پنچایت راج (ترمیم) بل ۲۰۲۶

۸۔ بہار جیل و سدھار سروس بل ۲۰۲۶

۹۔ بہار جرائم کنٹرول (ترمیم) بل ۲۰۲۶

۱۰۔ بہار خصوصی یونیورسٹی بل ۲۰۲۶

۱۱۔ ڈاکٹر شیا ماسا دھرجی مصنوعی اعلیٰ جنسی و کمپیوٹر سائنس یونیورسٹی بل ۲۰۲۶

۱۲۔ بہار انجینئرنگ یونیورسٹی (ترمیم) بل ۲۰۲۶

۱۳۔ شہید جہا سہنی فن عمارت سازی و سول انجینئرنگ یونیورسٹی بل ۲۰۲۶

صدر نشین کی رولنگ

کرسٹی صدارت سے عزت مآب چیرمین نے یہ رولنگ دینے کی عنایت کی کہ مذکورہ بلوں پر آج دوپہر ۴:۳۵ بجے تک ترمیم لئے جائیں گے۔

(وقفہ)

صدر نشین کو اطلاع

معزز رکن، جناب سرویش کمار کے ذریعہ صدر نشین کو یہ اطلاع دی گئی کہ بیگوسرائے کے بکھری میں ودیارتھی پریشد کے سینکڑوں کارکنان دھرتا پر بیٹھے ہیں، حکومت اس کی نوٹس لے۔

صدر نشین کی اجازت سے معزز چیف وہپ، حزب اختلاف، جناب عبدالباری صدیقی کے ذریعہ تحریک التواء پڑھی گئی، جس پر حکومت کی جانب سے معزز نائب وزیر اعلیٰ، جناب وجے کمار چودھری کے ذریعہ بیان دیا گیا۔

(اس موقع پر حزب اختلاف کے سبھی معزز اراکین ایوان سے باہر چلے گئے۔)

۲۔ ضابطے کے تحت کارروائی

۱۔ معزز وزیر، محترمہ شیلاکاماری کے ذریعہ ہندوستان کے کمپٹر ولر آڈیٹر جنرل سے حاصل حکومت بہار کا ۳۱ مارچ، ۲۰۲۴ کو ختم ہوئے سال

۲۳-۲۰۲۳ کے ”نٹارہ اور عمل درآمد آڈٹ امتحان“، سال ۱۸-۲۰۱۷ سے ۲۳-۲۰۲۲ کے ”نٹارہ آڈٹ امتحان-سول“ اور سال ۲۶-۲۰۲۵ کی ”ریاست کے مالیات“ رپورٹ کی ایک ایک کاپی ایوان کی میز پر رکھی گئی۔

۲- معزز وزیر، محترمہ سریشی سنگھ کے ذریعہ زمین جائیداد کی ریگولیٹری اتھارٹی (رے ا)، بہار کے مالی سال ۲۵-۲۰۲۴ کی سالانہ رپورٹ کی کاپی ایوان کی میز پر رکھی گئی۔

۳- معزز وزیر، جناب سنجے سنگھ ٹائیگر کے ذریعہ کامیشور سنگھ در بھنگہ سنسکرت یونیورسٹی کے مالی سال ۲۳-۲۰۲۳ اور ۲۵-۲۰۲۴ کی سالانہ رپورٹ کی ایک ایک کاپی ایوان کی میز پر رکھی گئی۔

۴- معزز وزیر، محترمہ رمانشاد کے ذریعہ بہار اسٹیٹ پسماندہ طبقہ مالیات و ترقیاتی کارپوریشن، پٹنہ کے مالی سال ۱۲-۲۰۱۱ سے ۱۸-۲۰۱۷ تک کی سالانہ رپورٹ کی ایک ایک کاپی ایوان کی میز پر رکھی گئی۔

۳- قانونی امور

سرکاری بل

۱- بہار شہری ترقیات بل ۲۰۲۶

جناب نیش مشرا، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار شہری ترقیات بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔
تجویز منظور ہوئی۔

جناب نیش مشرا، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار شہری ترقیات بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔
اس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، جناب نیش مشرا نے بیان دیا۔
بعد ازیں تجویز منظور ہوئی۔

بل پر بغیر کسی سفارش کے رضامندی عطا کی گئی۔

سکرٹری اس کی باضابطہ اطلاع اسمبلی کو دے دیں گے۔

۲- بہار پرائیویٹ یونیورسٹی (ترمیم) بل ۲۰۲۶

جناب سنجے سنگھ (ٹائیگر)، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار پرائیویٹ یونیورسٹی (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔
تجویز منظور ہوئی۔

جناب سنجے سنگھ (ٹائیگر)، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار پرائیویٹ یونیورسٹی (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔
اس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، جناب سنجے سنگھ (ٹائیگر) نے بیان دیا۔

بعد ازیں تجویز منظور ہوئی۔

بل پر بغیر کسی سفارش کے رضامندی عطا کی گئی۔

سکرٹری اس کی باضابطہ اطلاع اسمبلی کو دے دیں گے۔

۳۔ بہار دوکان و تنسیبات (روزگار ریگولیٹری اور سروس شرط) (تنسیخ) بل، ۲۰۲۶

جناب ارون شنکر پرساد، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار دوکان و تنسیبات (روزگار ریگولیٹری اور سروس شرط) (تنسیخ) بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔

تجویز منظور ہوئی۔

جناب ارون شنکر پرساد، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار دوکان و تنسیبات (روزگار ریگولیٹری اور سروس شرط) (تنسیخ) بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

اس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، جناب ارون شنکر پرساد نے بیان دیا۔

بعد ازیں تجویز منظور ہوئی۔

بل پر بغیر کسی سفارش کے رضامندی عطا کی گئی۔

سکرٹری اس کی باضابطہ اطلاع اسمبلی کو دے دیں گے۔

۴۔ بھارتیہ اسٹامپ (بہار ترمیم) بل، ۲۰۲۶

جناب مدن سہنی، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بھارتیہ اسٹامپ (بہار ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔

تجویز منظور ہوئی۔

جناب مدن سہنی، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بھارتیہ اسٹامپ (بہار ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

اس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، جناب مدن سہنی نے بیان دیا۔

بعد ازیں تجویز منظور ہوئی۔

بل پر بغیر کسی سفارش کے رضامندی عطا کی گئی۔

سکرٹری اس کی باضابطہ اطلاع اسمبلی کو دے دیں گے۔

۵۔ رجسٹریشن (بہار ترمیم) بل، ۲۰۲۶

جناب مدن سہنی، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس رجسٹریشن (بہار ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔

تجویز منظور ہوئی۔

جناب مدن سہنی، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس رجسٹریشن (بہار ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

اس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، جناب مدہن سہنی نے بیان دیا۔

بعد ازیں تجویز منظور ہوئی۔

بل پر بغیر کسی سفارش کے رضامندی عطا کی گئی۔

سکرٹری اس کی باضابطہ اطلاع اسمبلی کو دے دیں گے۔

۶۔ بہار ایز آف ڈونگ بزنس بل، ۲۰۲۶

محترمہ شریسی سنگھ، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار ایز آف ڈونگ بزنس بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔

تجویز منظور ہوئی۔

محترمہ شریسی سنگھ، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار ایز آف ڈونگ بزنس بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

اس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، محترمہ شریسی سنگھ نے بیان دیا۔

بعد ازیں تجویز منظور ہوئی۔

بل پر بغیر کسی سفارش کے رضامندی عطا کی گئی۔

سکرٹری اس کی باضابطہ اطلاع اسمبلی کو دے دیں گے۔

۷۔ بہار پنچایت راج (ترمیم) بل، ۲۰۲۶

جناب دیپک پرکاش، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار پنچایت راج (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔

تجویز منظور ہوئی۔

جناب دیپک پرکاش، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار پنچایت راج (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

اس پر معزز وزیر، جناب دیپک پرکاش کی منظوری کی تجویز کی معزز رکن، جناب مہیشو سنگھ نے مخالفت کی۔

بعد ازیں تجویز منظور ہوئی۔

بل پر بغیر کسی سفارش کے رضامندی عطا کی گئی۔

سکرٹری اس کی باضابطہ اطلاع اسمبلی کو دے دیں گے۔

۸۔ بہار جیل وسدھار سروس بل، ۲۰۲۶

جناب وجے کمار چودھری، معزز نائب وزیر اعلیٰ نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار جیل وسدھار سروس بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔

ہو۔

تجویز منظور ہوئی۔

جناب وجئے کمار چودھری، معزز نائب وزیر اعلیٰ نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار جیل و سدھار سروس بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

اس پر حکومت کی جانب سے معزز نائب وزیر اعلیٰ، جناب وجئے کمار چودھری نے بیان دیا۔
بعد ازیں تجویز منظور ہوئی۔

بل پر بغیر کسی سفارش کے رضامندی عطا کی گئی۔

سکرٹری اس کی باضابطہ اطلاع اسمبلی کو دے دیں گے۔

۹۔ بہار جرائم کنٹرول (ترمیم) بل، ۲۰۲۶

جناب وجئے کمار چودھری، معزز نائب وزیر اعلیٰ نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار جرائم کنٹرول (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔

تجویز منظور ہوئی۔

جناب وجئے کمار چودھری، معزز نائب وزیر اعلیٰ نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار جرائم کنٹرول (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

اس پر حکومت کی جانب سے معزز نائب وزیر اعلیٰ، جناب وجئے کمار چودھری نے بیان دیا۔
بعد ازیں تجویز منظور ہوئی۔

بل پر بغیر کسی سفارش کے رضامندی عطا کی گئی۔

سکرٹری اس کی باضابطہ اطلاع اسمبلی کو دے دیں گے۔

۱۰۔ بہار خصوصی یونیورسٹی بل، ۲۰۲۶

جناب سنجے سنگھ (ٹائیگر)، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار خصوصی یونیورسٹی بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔

تجویز منظور ہوئی۔

جناب سنجے سنگھ (ٹائیگر)، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار خصوصی یونیورسٹی بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

اس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، جناب سنجے سنگھ (ٹائیگر) نے بیان دیا۔

بعد ازیں تجویز منظور ہوئی۔

بل پر بغیر کسی سفارش کے رضامندی عطا کی گئی۔

سکرٹری اس کی باضابطہ اطلاع اسمبلی کو دے دیں گے۔

۱۱۔ ڈاکٹر شیاپا رسا دکھرجی مصنوعی اعلیٰ جنسی و کمپیوٹر سائنس یونیورسٹی بل، ۲۰۲۶

محترمہ شیا کماری، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس ڈاکٹر شیاپا رسا دکھرجی مصنوعی اعلیٰ جنسی و کمپیوٹر سائنس یونیورسٹی بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔

تجویز منظور ہوئی۔

محترمہ شیا کماری، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس ڈاکٹر شیاپا رسا دکھرجی مصنوعی اعلیٰ جنسی و کمپیوٹر سائنس یونیورسٹی بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

اس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، محترمہ شیا کماری نے بیان دیا۔

بعد ازیں تجویز منظور ہوئی۔

بل پر بغیر کسی سفارش کے رضامندی عطا کی گئی۔

سکرٹری اس کی باضابطہ اطلاع اسمبلی کو دے دیں گے۔

۱۲۔ بہارا انجینئرنگ یونیورسٹی (ترمیم) بل، ۲۰۲۶

محترمہ شیا کماری، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہارا انجینئرنگ یونیورسٹی (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔
تجویز منظور ہوئی۔

محترمہ شیا کماری، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہارا انجینئرنگ یونیورسٹی (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔
اس پر حکومت کی جانب سے معزز وزیر، محترمہ شیا کماری نے بیان دیا۔

بعد ازیں تجویز منظور ہوئی۔

بل پر بغیر کسی سفارش کے رضامندی عطا کی گئی۔

سکرٹری اس کی باضابطہ اطلاع اسمبلی کو دے دیں گے۔

۱۳۔ شہید جاسہنی فن عمارت سازی و سول انجینئرنگ یونیورسٹی بل، ۲۰۲۶

محترمہ شیا کماری، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس شہید جاسہنی فن عمارت سازی و سول انجینئرنگ یونیورسٹی بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔

تجویز منظور ہوئی۔

محترمہ شیا کماری، معزز وزیر نے تجویز پیش کی کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس شہید جاسہنی فن عمارت سازی و سول انجینئرنگ یونیورسٹی بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

منظوری کی تجویز پر معزز وزیر، جناب مدن سہنی اس کی حمایت کی اور اس کے لئے معزز وزیر کو مبارکباد پیش کی۔

بعد ازاں حکومت کی جانب سے معزز وزیر، محترمہ شیلا کماری نے بیان دیا۔

بعد ازیں تجویز منظور ہوئی۔

بل پر بغیر کسی سفارش کے رضامندی عطا کی گئی۔

سکرٹری اس کی باضابطہ اطلاع اسمبلی کو دے دیں گے۔

۴۔ توجہ طلب اطلاع

۱۔ معزز رکن، جناب وجے کمار سنگھ کے ذریعہ ریاست میں پنچایتی راج نظام کے تحت منتخب عوامی نمائندوں کو تحفظ کے لیے اسلحہ لائسنس جلد جاری کرنے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کی گئی۔

اس پر حکومت کی جانب سے تحریری بیان رکھا گیا۔

۲۔ معزز رکن، جناب اشوک کمار کے ذریعہ نوادہ ضلع کے مختلف بلاکوں میں چل رہے بس پڑاؤ کے پاس مسافروں کے بنیادی سہولیات فراہم کرانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کی گئی۔

اس پر حکومت کی جانب سے تحریری بیان رکھا گیا۔

۳۔ معزز رکن، جناب عبدالباری صدیقی کے ذریعہ ریاست میں پیدا مالی بحران، تنخواہ پنشن میں ہورہی تاخیر اور ہنگامی فنڈ کی بے ضابطہ استعمال کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کیا جانا۔

ضائع

۴۔ جناب سونو کمار رائے کے ذریعہ بہار پولس سب آڈینیٹ سروس کمیشن کے ذریعہ منعقد سپاہی بھرتی اور ہوم گارڈ کلرک امتحان کے پیپر لیک معاملے میں قصور وار افسران پر کارروائی کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کیا جانا۔

ضائع

۵۔ معزز رکن، جناب محمد صہیب کے ذریعہ محکمہ ٹرانسپورٹ کے پروموشن یافتہ افسران کو ضلع ٹرانسپورٹ افسر کے عہدہ پر مامور نہیں کیے جانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کی گئی۔

ضائع

۵۔ معزز رکن، جناب کمار ناگیندرودیکر (چار) معزز اراکین کے ذریعہ ریاست کے شہری یونٹوں کے ذریعہ ۱۵ لاکھ سے کم لاگت کے سبھی منصوبوں کا نفاذ محکمہ جاتی سطح سے کرائے جانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کیا جانا۔

ضائع

۵۔ عرضداشت

۳۔ جناب سونو کمار رائے

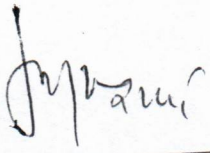
۲۔ جناب اشوک کمار

۱۔ جناب سرویش کمار

- ۴۔ ڈاکٹر اجے کمار سنگھ
۵۔ جناب نول کشور یادو
۶۔ جناب جیون کمار
۷۔ جناب کارتک کمار
۸۔ جناب ونشی دھر برجوا سی
۹۔ جناب گھنشیام ٹھاکر
۱۰۔ ڈاکٹر ارمیلا ٹھاکر
۱۱۔ جناب سنجے پرکاش
۱۲۔ جناب مہیشور سنگھ
۱۳۔ جناب رویندر پرساد سنگھ
۱۴۔ جناب افاق احمد خان
۱۵۔ جناب محمد خالد انور
۱۶۔ محترمہ انامیکا سنگھ
۱۷۔ پروفیسر سنجے کمار سنگھ

چیرمین : آج مورخہ ۲۳ جولائی، ۲۰۲۶ کو کل ۱۷ موصول عرضداشتوں کو عرضداشت کمیٹی کے توسط سے متعلقہ محکمہ کو بھیجا جائے۔

بعد ازاں کاؤنسل کی نشست جمعہ مورخہ ۲۳ جولائی، ۲۰۲۶ء کو ۱۱ بجے دن تک کے لئے ملتوی ہوئی۔



23/07/26

(سبھیم شرما)

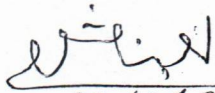
چیف رپورٹر

بہار قانون ساز کاؤنسل

23.07.2026

میمو نمبر۔ 1071(3)

ترجمہ کردہ : اردو شعبہ، بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



23/7/26

(اویناش امن)

سکشن افسر

اردو شعبہ، بہار قانون ساز کاؤنسل